



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in
वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. डी. के. गोतवाल

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांक: मुछाअ/श्रीकनकृमवि/2026/440

दिनांक: 02.02.2026

कार्य-आदेश

M/s Jagdish Electicals,
57- Dhani Nagan, Kalwar Road
Jobner, Jaipur Rajasthan, 303328
Mobile No. : 9413237330
Email-ID : jk3265110@gmail.com

विषय :- Supply of Geyser (Vertical) ISI Mark

संदर्भ:- कोटेशन क्रमांक मुछाअ/श्रीकनकृमवि/2026/401 दिनांक 01.01.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि आपकी फर्म की माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन की दरे कम पायी जाने एवं कोटेशन हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन उपरान्त आपको निम्नानुसार दर पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के निम्नलिखित विभाग में महाविद्यालय कोटेशन की समस्त शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य-आदेश दिया जाता है।

S. No.	Item Description	Department Name	Qty	Amount/Item with GST	Total Amount with GST
1	Geyser (Vertical) ISI Mark Watt: 2000 (230v- 50 Hz) Capacity 25 Liter Voltas	Chief Hostel Warden Office	07	8500.00	59500.00

नोट:- कोटेशन प्रपत्र की सभी शर्तों के साथ RTTP अधिनियम 2012 एवं RTTP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर कोटेशन के अनुसार RTTP नियम 2013 का नियम 29(ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय एवं इसके विभागों के सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1.	माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 05 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से तीन प्रतियों में

शास्ति: विलम्ब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:-

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:-

अ	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed delivery period	2.5%
ब	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर	05%

	Delay exceeding one-fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period	
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period	7.5%
द.	3/4 अवधि विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

वि०
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयोजक एवं सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
3. अनुभाग अधिकारी, लेखाशाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. इंजार्ज सिमका, को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

Sehrawat
मुख्य छात्रावास अधिकारी

ok